

12

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्


(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(Constituted under I. M. C. C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परोक्षित लेखा

(1982-83)




Annual Report and Audited Accounts

(1982-83)

1 ई/६, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-११००५५

1E/6, Swami Ramtirtha Nagar, New Delhi-110055

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



सदस्यों की सूची

अध्यक्ष

कविराज आशुतोष मजूमदार

उपाध्यक्ष [आयुर्वेद]

वैद्य श्रीराम शर्मा

उपाध्यक्ष [यूनानी]

डा० हकीम सैय्यद खलीफथुल्ला

जपाध्यक्ष [सिद्ध]

डा० ए० आनन्द कुमार

सदस्य

वैद्य रामलाल भारद्वाज

कविराज एस० भट्टाचार्य जी

कविराज ब्रह्म स्वरूप चावला

वैद्य दौलतराम चतुर्वेदी

वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी

वैद्य धर्मदत्त

वैद्य बृजमोहन दीक्षित

वैद्य गौरीशंकर द्विवेदी

आचार्य मुकुन्दीलाल द्विवेदी

डा० आर० दयालु

वैद्य गोविन्द प्रसाद

डा० पी० सी० जैन

वैद्य रामेश्वर सिंह कंवर

कविराज खजान चन्द
 डा० एस० पी० किजवाडेकर
 डा० पी० एन० वी० कुरूप
 वैद्य माधव प्रसाद आचार्य
 वैद्य गुलराज शर्मा मिश्र
 वैद्य सीताराम मिश्र
 कविराज एम० सी० नन्दा
 डा० वी० नारायण स्वामी
 कविराज ओम प्रकाश
 कविराज रामरक्ष पाठक
 वैद्य वाई० पार्थनारायण पण्डित
 डा० के० राजगोपालन
 श्री ए० टी० शर्मा
 डा० एस० सी० सांख्यधर
 डा० सी० शाह
 वैद्य धनीराम शर्मा
 पं० कीर्ति शर्मा
 वैद्य हरिदत्त शास्त्री
 श्री मुरली मनोहर शरण शास्त्री
 पं० राम गोपाल शास्त्री
 महन्त हरिकिशन सिंह
 कविराज विश्वनाथ सोबती
 डा० के० सत्यनारायण स्वामी
 आचार्य बदरी विशाल त्रिपाठी
 डा० पी० के० वारियर
 हकीम अब्दुल अहद
 हकीम इफितखार अहमद

डा० मदन स्वरूप गुप्ता
 हकीम अब्दुल हमीद
 हकीम मुहम्मद जलालुद्दीन हुसामी
 हकीम मुहम्मद इब्राहिम खाँ
 हकीम मुहम्मद कयामुद्दीन
 हकीम अब्दुल रहीम अब्दुल करीम मुस्तजर
 हकीम एस० ए० शमसी
 हकीम शमसुद्दीन
 हकीम मुहम्मद मुख्तार सिद्दीकी
 डा० ई० आर० बालाकृष्णन
 डा० जे० आर० कृष्णमूर्ति
 डा० आर० त्यागराजन
 डा० सी० एस० उत्तमारायन

□ □
 □ □

आयुर्वेद समिति

सभापति
सदस्य

कविराज आशुतोष मजूमदार
[अध्यक्ष, भा० चि० के० प०]
वैद्य श्रीराम शर्मा
वैद्य रामलाल भारद्वाज
कविराज एस० भट्टाचार्यजी
कविराज ब्रह्म स्वरूप चाबला
वैद्य दौलतराम चतुर्वेदी
वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी
वैद्य धर्मदत्त
वैद्य बृज मोहन दीक्षित
वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी
आचार्य मुकुन्दीलाल द्विवेदी
डा० आर० दयालु
वैद्य गोविन्द प्रसाद
डा० पी० सी० जैन
वैद्य रामेश्वर सिंह कंवर
कविराज खजान चन्द
डा० एस० पी० किंजवाडेकर
डा० पी० एन० वी० कुरूप
वैद्य माधव प्रसाद आचार्य
वैद्य सीताराम मिश्र
वैद्य गुलराज शर्मा मिश्र
कविराज एम० सी० नन्दा
डा० वी० नारायण स्वामी

कविराज ओम प्रकाश
कविराज रामरक्षक पाठक
वैद्य वाई० पार्थनारायण पंडित
डा० के० राजगोपालन
वैद्य अनन्त त्रिपाठी शर्मा
डा० एस० सी० सांख्यधर
डा० सी० शाह
वैद्य धनीराम शर्मा
पं० कीर्ति शर्मा
वैद्य हरिदत्त शास्त्री
श्री मुरली मनोहर शरण शास्त्री
वैद्य पं० रामगोपाल शास्त्री
महन्त हरिकिशन सिंह
कविराज विश्वनाथ सोबती
डा० के० सत्यनारायण स्वामी
आचार्य बदरी विशाल त्रिपाठी
डा० पी० के० वारियर

यूनानी समिति

सभापति
सदस्य

डा० हकीम सैय्यद खलीफथुल्ला
डा० मदन सरूप गुप्ता
हकीम अब्दुल अहद
हकीम अब्दुल हमीद
हमीम एस० ए० शमसी
हकीम मुहम्मद कयामुद्दीन
हकीम मुहम्मद मुख्तार सिद्दिकी

हकीम मुहम्मद इब्राहिम खां
हकीम मुहम्मद जलालुद्दीन हुसामी
हकीम अब्दुल रहीम अब्दुल करीम मुन्तजर
हकीम शमसुद्दीन
हकीम इफितखार अहमद

सिद्ध समिति

सभापति
सदस्य

डा० ए० आनन्द कुमार
डा० ई० आर० बालाकृष्णन
डा० आर० त्यागराजन
डा० सी० एस० उत्तमारायन
डा० जे० आर० कृष्णामूर्ति

कार्यकारिणी समिति

सभापति
सदस्य

कविराज आशुतोष मजूमदार [अध्यक्ष]
वैद्य श्रीराम शर्मा [उपाध्यक्ष-आयुर्वेद]
डा० हकीम सैय्यद खलीफथुल्ला [उपाध्यक्ष-यूनानी]
डा० ए० आनन्द कुमार [उपाध्यक्ष-सिद्ध]
वैद्य अनन्त त्रिपाठी शर्मा
डा० वी० नारायण स्वामी
कविराज खजान चन्द
डा० पी० एन० वी० कुरुप
डा० मदन सरूप गुप्ता
हकीम अब्दुल अहद
डा० सी० एस० उत्तमारायन

विनियम समिति

सभापति

श्री धर्मदत्त वैद्य
वैद्य श्रीराम शर्मा (उपाध्यक्ष-आयुर्वेद)
डा० हकीम सैय्यद खलीफथुल्ला (उपाध्यक्ष-यूनानी)
डा० ए० आनन्द कुमार (उपाध्यक्ष-सिद्ध)
डा० सी० शाह
डा० मदन सरूप गुप्ता
कविराज खजान चन्द
डा० आर० त्यागराजन
वैद्य रामेश्वर सिंह कंवर
वैद्य गुलराज शर्मा मिश्र
श्री गोविन्द प्रसाद वैद्य
वैद्य शिकरण शर्मा छांगाणी
हकीम एस० ए० शमसी

पंजीयन समिति

सभापति
सदस्य

आचार्य मुकुन्दी लाल द्विवेदी
वैद्य श्रीराम शर्मा (उपाध्यक्ष-आयुर्वेद)
डा० हकीम सैय्यद खलीफथुल्ला (उपाध्यक्ष-यूनानी)
डा० ए० आनन्द कुमार (उपाध्यक्ष-सिद्ध)
डा० के० सत्यनारायण स्वामी
श्री मुरली मनोहर शरण शास्त्री
हकीम अब्दुल अहद
हकीम मुहम्मद इब्राहिम खां
हकीम इफितखार अहमद
डा० एस० पी० किंजवाडेकर
डा० एस० सी० सांख्यधर
कविराज विश्वनाथ सोबती

शिक्षा समिति [आयुर्वेद]

सदस्य

वैद्य श्रीराम शर्मा (उपाध्यक्ष-आयुर्वेद)
वैद्य अनन्त त्रिपाठी शर्मा
कविराज रामरक्ष पाठक
वैद्य हरिदत्त शास्त्री
आचार्य मुकुन्दीलाल द्विवेदी
पं० कीर्ति शर्मा
डा० पूर्ण चन्द्र जैन
वैद्य दीलतराम चतुर्वेदी
वैद्य वाई० पार्थनारायण पण्डित
कविराज ब्रह्म स्वरूप चावला
कविराज विश्वनाथ सोबती।
डा० पी० एन० वी० कुरूप
डा० व्ही नारायण स्वामी

संयोजक

शिक्षा समिति [यूनानी]

सदस्य

डा० हकीम सैय्यद खलीफथुल्ला (उपाध्यक्ष-यूनानी)
हकीम अब्दुल अहद
हकीम अब्दुल हमीद
हकीम एम० ए० शमसी
हकीम मुहम्मद कयामुद्दीन
हकीम मुहम्मद मुस्तार सिद्दिकी
डा० मदन सरूप गुप्ता

संयोजक

शिक्षा समिति [सिद्ध]

सदस्य

डा० ए० आनन्द कुमार (उपाध्यक्ष-सिद्ध)
डा० ई० आर० बालाकृष्णन
डा० आर० त्यागराजन
डा० सी० एस० उत्तमारायन
डा० जे० आर० कृष्णमूर्ति

वर्ष १९८२-८३ का वार्षिक प्रतिवेदन

एवं

लेखा परीक्षित लेखा

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद का गठन वर्ष १९७१ में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, १९७० के अधीन किया गया था। परिषद के मुख्य कार्य निम्न हैं :—

- (क) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- (ख) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अहंताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों में केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- (ग) भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को रखना और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- (घ) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु व्यावसायिक आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

जो संस्थाएं विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु केन्द्रीय परिषद् को स्वीकृति प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हैं, उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय परिषद् ने निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है—

१. आयुर्वेद की किसी भी संस्था में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति देने से पूर्व केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाय, ताकि केन्द्रीय परिषद् आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने/अपनाने वाली प्रत्येक संस्था के विषय में अवगत हो।

२. समस्त विश्वविद्यालयों को यह बतलाते हुए एक परिपत्र जारी किया जाय कि उन्हें आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए उनसे सम्बद्ध संस्था को अनुमति देने से पूर्व केन्द्रीय परिषद् की अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिये। किसी भी संस्था को विश्वविद्यालय के द्वारा आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु परिषद् की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुमति/सम्बद्धता नहीं दी जानी चाहिये।

३. किसी भी संस्था में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए परिषद् की स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय से अनुरोध प्राप्त होने पर परिषद् उस संस्था का निरीक्षण/परिदर्शन कराने की व्यवस्था करे। परिदर्शक द्वारा प्रस्तुत परिदर्शन प्रतिवेदन पर शिक्षा समिति (आयुर्वेद) के द्वारा विचार किया जाय और तत्पश्चात् परिषद् का निर्णय विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाय।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि अनिवार्य विशिखानुप्रवेश के दौरान विशिष्ट आयुर्वेदीय विभाग, आतुरालय, ग्रामीण चिकित्सा एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण आदि के लिए प्रशिक्षण की अवधि निम्न प्रकार रखी जाय—

(१) काय चिकित्सा	—२ माह
(२) शल्य-शालाक्य	—१ माह
(३) प्रसूति तंत्र, स्त्रीरोग एवं कौमार भृत्य	—१ माह
(४) सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—२ माह

यूनानी तिब्व के लिए अनिवार्य विशिखानुप्रवेश की अवधि निम्न प्रकार निश्चित की गई—

(१) मौलिजात	—२ माह
(२) हिफजान-ए-सेहत-(परिवार कल्याण सहित)	—२ माह
(३) जराहत, कान, नाक, गला सहित	—१ माह
(४) इलमुल कबालत	—१ माह

सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए अनिवार्य विशिखानुप्रवेश के प्रशिक्षण की अवधि निम्न प्रकार निश्चित की गई—

१. मरुथुवम	—२ माह
२. अरुवै मरुथुवम	—१ माह
३. सूल मरुथुवम	—१ माह

महलिर मरुथुवम एवं पिल्लैप्पिणि मरुथुवम

४. समूका नलवन्नवु एवं कुदुम्बा कल्लुप्पडु	—१ माह
---	--------

इस सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव भी पारित किया गया :—

“भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के आयुर्वेदीय एवं यूनानी पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए अनिवार्य विशिखानुप्रवेश के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में २ माह का प्रशिक्षण सम्मिलित किया गया है। किन्तु वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी शिक्षण संस्थाओं से संलग्न आतुरालयों में इस प्रकार के प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं है।

अतः आयुर्वेद समिति संकल्प करती है कि राज्य सरकारों को अपने राज्य में प्रत्येक आयुर्वेद/यूनानी/महाविद्यालय के निकटस्थ दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तृतीय चिकित्साधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान आयुर्वेद/यूनानी पद्धति से करना चाहिए।”

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी के मुख्य पाठ्यक्रमों में सीधा प्रवेश चाहने वाले छात्रों के लिए प्राग्-टेस्ट की अनुशंसा की।

ये टेस्ट सम्बन्धित विश्व विद्यालयों/राज्य सरकारों के द्वारा व्यवस्थित किए जावें और छात्रों को दृढ़तापूर्वक वरीयता मापदण्ड के अनुसार प्रविष्ट किया जाय।

केन्द्र सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्रीय परिषद् ने निखिल भारत-वर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली से सम्बद्ध निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के स्नातकीय पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निर्धारण करने के लिए कराया था।

- (१) बी० एस० एम० आयुर्वेद महाविद्यालय, रुड़की।
- (२) गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, कनखल।
- (३) श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, चण्डीगढ़।

- (४) अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, त्रिवेणी गंज, (नौबस्ता) लखनऊ ।
 (५) श्री गोरखनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, गोरखपुर ।
 (६) परसुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय, जौनपुर ।
 (७) श्री संस्कृत विद्या मन्दिर आयुर्वेद महाविद्यालय, उझानी, जिला बदायूँ ।
 (८) स्वामी कल्याणदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुल घासीपुरा, मन्सूरपुर
 (मुज्जफ्फर नगर) ।

परिदर्शकों के द्वारा प्रस्तुत महाविद्यालयों के परिदर्शन प्रतिवेदन पर केन्द्रीय परिषद् द्वारा विचार किया गया था । केन्द्रीय परिषद् ने अनुभव किया कि कोई भी महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित आयुर्वेद के स्नातकीय पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए आवश्यकताओं एवं न्यूनतम मानकों को पूर्ण नहीं करता है । अतः परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित उपाधि पाठ्यक्रम को अपनाए जाने हेतु इन संस्थाओं को योग्य नहीं समझा । समस्त परिदर्शन प्रतिवेदनों को परिषद् के अभिमत सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय को प्रेषित कर दिया गया था ।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित आयुर्वेदीय स्नातकीय पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु मोहता आयुर्वेद महाविद्यालय, सादुलपुर का निरीक्षण करने के लिए परिषद् से अनुरोध किया था । प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरान्त परिषद् ने उसे अस्थाई मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया, बशर्ते कि एक वर्ष के अन्दर आवश्यकताएँ पूर्ण कर ली जावें और सांकेतिक कमियाँ तथा अधिकारियों द्वारा दिया गया आश्वासन पूर्ण किया गया गया है या नहीं—यह देखने के लिए द्वितीय निरीक्षण कराया जाय ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने इस वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के ४० महाविद्यालयों का नियमित परिदर्शन कराया और परिदर्शन प्रतिवेदनों में उल्लिखित महत्वपूर्ण कमियों को उन विश्वविद्यालयों जिनसे ये महाविद्यालय सम्बद्ध थे एवं राज्य सरकारों की जानकारी में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया गया ।

गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर के अनुरोध पर श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद महाविद्यालय, अमृतसर एवं दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, जालन्धर

का निरीक्षण परिषद् द्वारा किया गया था । परिदर्शकों द्वारा प्रस्तुत परिदर्शन प्रतिवेदन परिषद् द्वारा स्वीकृत किया गया । यह निर्णय लिया गया कि दोनों महाविद्यालयों को एक वर्ष के लिए अस्थाई मान्यता दी जाय । परिषद् का यह दृष्टिकोण था कि प्राग् आयुर्वेद पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के समय १:३ का छात्र शैल्या अनुपात का अनुसरण संस्थाओं द्वारा दृढतापूर्वक किया जाय ।

संस्थाओं को एक वर्ष के अन्दर अपने आचरालयों में न्यूनतम १०० शय्याओं के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लेना चाहिए ।

केन्द्रीय परिषद् ने बिहार विश्वविद्यालय, मुज्जफ्फपुर एवं कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत्त अर्हतों को मान्य नहीं करने लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसा की । परिषद् की दृढ़ राय थी कि इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय को आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा मान्य नहीं किया जाय ।

परिषद् का दृष्टिकोण था कि अधिकांश आयुर्वेद महाविद्यालय अभी तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं । ये हीन स्तरीय संस्थाएँ मुख्य रूप से हीन स्तरीय शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं । अतः यह सुझाव दिया गया कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों को नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना पर कठोर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए जब तक कि विद्यमान महाविद्यालयों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप नहीं लाया जाता है । यह अंकित किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से बार-बार पत्र भेजने के बावजूद भी अनेक राज्य तथा तथा निजी महाविद्यालयों की अनेक प्रबन्ध निकायें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के समकक्ष अपने महाविद्यालय को लाने में अभी तक असफल रही हैं । भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को महाविद्यालयों को आवश्यक न्यूनतम मानकों तक लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए । यदि ऐसी कोई संस्था इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहती है तो उसे तत्काल बन्द कर देना चाहिए ।

यह देखा गया है कि इन अनेक संस्थाओं के स्तरोन्नयन में मुख्य बाधा आर्थिक कठोरता है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से ऐसी संस्थाओं को उदार आर्थिक सहायता देने का अनुरोध है। निजी प्रबन्ध निकायों को भी अपने स्रोत बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

परिषद् ने अनुभव किया कि आयुर्वेद का शिक्षण देने वाली अधिकांश संस्थाओं में नगण्य शिक्षण सुविधाएं विद्यमान हैं। अतः—

- (क) अतुरालय में स्वीकृत शय्या अनुपात का प्रावधान,
- (ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित प्रयोगशालाओं की व्यवस्था,
- (ग) वनस्पति उद्यान की व्यवस्था एवं
- (घ) पूर्ण साधन सम्पन्न शवच्छेदन गृह

इत्यादि से सम्बन्धित पूर्ण सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इन संस्थाओं का प्रबन्ध करने वाले अधिकारियों को दो वर्ष के अन्दर न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय तथा उन संस्थाओं के शैक्षिक कार्यकलापों का नियंत्रण करने वाले अधिकारियों को यह आश्वासन देना चाहिए कि वे आवश्यकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। यदि संस्थाएं इस अनुसूची को पूर्ण करने में असफल रहती हैं तो उन महा विद्यालयों में तब तक के लिए प्रवेश रोक दिया जाना चाहिए जब तक आवश्यक मानक पूर्ण नहीं हो जाते हैं।

परिषद् का दृष्टिकोण था कि विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालय की शिक्षा के ढाँचे में भिन्नता होने के कारण भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित वर्तमान प्रवेशहता को अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं अपनाया गया है। अतः यह अनुभव किया गया कि सभी विश्वविद्यालयों में एक समान प्रवेश अहता होनी चाहिए।

सम्पूर्ण देश में वर्तमान स्थिति एवं शिक्षा के १०+२ ढाँचे को देखते हुए परिषद् की राय थी कि मुख्य आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम प्रवेशहता सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की उत्तर मध्यमा अंग्रेजी सहित अथवा अन्य विश्वविद्यालय या सांविधिक निकाय की अंग्रेजी सहित समकक्ष मान्य संस्कृत परीक्षा या संस्कृत सहित १२ वीं कक्षा होनी चाहिए।

यह भी अनुशांसा की गई कि प्राग् आयुर्वेद पाठ्यक्रम के विषयों को मुख्य आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में समायोजित कर लिया जाय।

परिषद् ने निर्णय लिया कि निम्न कोई अहता रखने वाले तथा आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए राज्य सरकार अथवा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा एक प्राग् आयुर्वेद टेस्ट की व्यवस्था की जाय।

इन्टरमीडिएट/१२वीं कक्षा संस्कृत या विज्ञान के साथ

अथवा

अंग्रेजी या विज्ञान सहित उत्तर मध्यमा

अथवा

मान्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की समकक्ष अन्य परीक्षा।

परिषद् ने वर्तमान में १० विशिखानुप्रवेशार्थियों के लिए विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण हेतु मूलचन्द खैरातीराम अस्पताल, नई दिल्ली को मान्य करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्य सम्बन्धित विश्व विद्यालय अथवा परीक्षा निकाय की अनुशांसा प्राप्त होने पर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी तिब्बत के स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए उत्तीर्णता प्रतिशत का निम्न प्रकार से अनुमोदन किया :—

(क) प्रत्येक विषय में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक/चिकित्सीय में पृथक् रूप से उत्तीर्णता अंक ५० प्रतिशत।

(ख) किसी विशेष विषय में ७५ प्रतिशत और उससे अधिक अंक होने पर विशेष योग्यता के रूप में माना जाय।

भारतीय उपचर्या परिषद् के अनुरोध पर केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी चिकित्सा में उपचर्या पाठ्यक्रम की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण का निर्माण कर भारतीय उपचर्या परिषद् को भेजे जाने हेतु उसका अनुमोदन किया।

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी तिब्बत के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रारम्भिक परीक्षा

के निम्न विषयों को प्रतिस्थापित किया और यूनानी तिब् के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण विधि का अनुमोदन निम्न प्रकार से किया—

- (१) उमूरे तिबिया उसके प्रायोगिक अंशों सहित ।
- (२) इतलाकी-अफाल-उल-आजा; हयातियात कीमिया ।
- (३) इतलाकी-तशरीह-ओ-जनीनियात ।
- (४) तिब्बी कीमिया सहित-इतलाकी-इलमुल-अदविया ।
- (५) इतलाकी महीअ-तुल-अमराज व इतलाकी जराशुमियात ।
- (६) अनुसंधान विधि और जैव सांख्यिकी ।

प्रशिक्षण की विधि

जोर प्रशिक्षण पर दिया जाना चाहिये, न कि उपदेशात्क व्याख्यानों पर । अभ्यर्थियों को सेमीनार, वर्ग विमर्श, चिकित्सीय बैठकों में भाग लेना चाहिये । अभ्यर्थियों को विस्तृत व्याख्या सहित एक शोध प्रबन्ध लिखना आवश्यक होना चाहिये जिसमें शोध पत्र लेखन की कला तथा पुस्तकालय का उपयोग करने का ज्ञान सहित अनुसंधान विधियों और तकनीकों में प्रशिक्षण की अनिवार्य पृष्ठ भूमि का प्रावधान होना चाहिये । प्रशिक्षण में रहने वाले अभ्यर्थी का कैम्पस में रहना आवश्यक है और उसकी देखरेख में सौंपे गए रोगियों की चिकित्सा तथा प्रबन्ध में उसे श्रेणीकृत उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये । इस उद्देश्य के लिए चिकित्सीय निवासी या शिक्षकों के पद पर्याप्त संख्या में सृजित किए जाने चाहिये ।

केन्द्रीय परिषद् ने यूनानी चिकित्सा के स्नातकोत्तर उपाधिधारियों के लिए अध्यापन अनुभव में तीन वर्ष की छूट देने की अनुशंसा की ।

परिषद् ने यूनानी के चिकित्सकों के लिए निम्न हिपोक्रेटिक शपथ को अनुमोदित किया—

मैं महान् ईश्वर की शपथ लेता हूँ—

‘चिकित्सा का उपहार जैसा कि मुझे दिया गया है का श्रेय ईश्वर को देने के लिए जो दैविक चिकित्सक हैं ।’

“सभी अवस्थाओं और समस्त परिस्थितियों में वेदना और चिन्ता, रोग और मृत्यु से मानव जीवन की रक्षा करने की ।’

‘लोगों की प्रतिष्ठा, सम्मान उनका विश्वास बढ़ाने की और उनकी गोपनीय बातों की रक्षा करने की’

‘सभी जगह समीप एवं दूर, धर्मात्मा एवं पापी, मित्र और शत्रु को अपनी चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हुए ईश्वर की दया का उपकरण बनने की ।’

“ज्ञान के अनुसरण में प्रयास करने और उसे लाभ के लिए काम में लाने की, किन्तु मानवता की हानि के लिए नहीं ।”

“अपने गुरु का आदर करने की, अपने कनिष्ठ को पढ़ाने की तथा दया और दान में संलग्न चिकित्सा व्यवसाय के सदस्यों का भाई होने की ।”

“जो कुछ मुझ पर दोषारोपण किया जाता है उसकी परवाह नहीं करते हुए, ईश्वर और अपने सहयोगियों के नेत्रों में निजी तौर पर एवं जनता में अपनी निष्ठा को जीवत रखने की ।”

और ईश्वर इस शपथ का साक्षी हो ।”

भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों की कुकरमुत्ता उत्पत्ति तथा अयोग्य एवं अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों के अनधिकृत चिकित्साभ्यास को रोकने के लिए केन्द्रीय परिषद् ने हिन्दी अंग्रेजी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन जारी किया । देश में ऐसी जाली चिकित्सीय संस्थाओं जो पंजीयन एवं अमान्य उपाधि के जाली प्रमाण-पत्र प्रदान करती हैं से सावधान रहने के लिए जनता को चेतावनी दी गई ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्र सरकार से निदेश प्राप्त होने पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० की द्वितीय अनुसूची में संशोधन/समावेश/निरसन के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति की विभिन्न अर्हताओं पर विचार किया ।

केन्द्रीय परिषद् ने समस्त अर्हताओं की जांच की और पंजीयन समिति की अनुशंसाओं के पश्चात् अर्हताओं की सूची को अंतिम रूप दिया और उसे परिषद् के अभिमत सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्र सरकार को अग्रेषित किया ।

लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व के निदेशक का कार्यालय
नई दिल्ली ।

क्रमांक OAI/13—CCIM/AR/82-83/330, दिनांक 8-1-1983

विषय—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का वर्ष १९८२-८३ का लेखा का
परीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मैं लोकसभा की मेज पर रखे जाने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
से सम्बन्धित वर्ष १९८२-८३ के प्रमाणित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति भेज रहा हूँ ।
तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन कृपया "शून्य" समझें ।

लोकसभा को यथा प्रस्तुत कागजों की दो प्रतियाँ उस तिथि का संकेत करते
हुए जिनमें वे प्रस्तुत किए गए हैं कृपया इस कार्यालय को तथा भारत के लेखा नियन्ता
एवं महा लेखा परीक्षक, नई दिल्ली को भी भेजें ।
कृपया प्राप्ति सूचित करें ।

भवदीय,

ह०/—

(विक्रम चन्द्र)

लेखा परीक्षा के संयुक्त निदेशक (1)

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने ३१ मार्च १९८३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय
परिषद् के लेखाओं और तुलन-पत्र की जाँच की है । मैंने समस्त सूचना एवं स्पष्टीकरण
जो मुझे आवश्यक थे प्राप्त कर लिये हैं और मैं अपनी लेखा परीक्षा के परिणाम-स्वरूप
प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में ये लेखा और तुलन पत्र सही रूप से बनाए गए हैं
जो मुझे प्रदत्त सूचना और स्पष्टीकरण तथा जैसा कि परिषद् की पुस्तिकाओं द्वारा
दर्शित है के अनुसार परिषद् के कार्यों का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

हस्ता०/—

निदेशक, लेखा परीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व

31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं खर्चों का लेखा

प्राप्तियाँ विवरण	राशि	राशि
को आय क्षेत्र		
इण्डिया के वायु छाते में इति क्षेत्र	62,221.17	
डोकड	234.45	
डाक टिकटें	123.10	
रील में डाक टिकटें	1,404.64	
-83 के दौरान मर-योजना के अधीन एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली से आयता अनुदान		63,983.36
-83 के दौरान योजना के अधीन स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली से आयता अनुदान		5,75,000.00
यों से की गई वसूली		1,60,000.00
मिस्टर अग्रिम	1,310.00	
अग्रिम पर खयाज	567.50	
	2,795.00	
से प्राप्त अधिक राशि	21.30	
लिए प्राप्त राशि		4,693.80
दों के लिए अर्थव्ययों से प्राप्त		571.00
		160.00
वार-पत्रों की विक्री पर प्राप्त राशि		147.15
82 के दौरान प्रवृत्त यात्रा/दैनिक म का समायोजन		16,100.00
या बैंक-वापिस प्राप्त पुराना बैंक प्रविष्टियाँ		48.35
यात्रा भ्रतता अग्रिम की वसूली		81.00
विव्यक्ति के खाते में जमा कराने हेतु से प्राप्त मकान किराया भ्रतता की राशि	8,067.32	
विव्यक्ति के खाते में जमा अर्वाहियों से प्राप्त बहर	2,587.40	
रा की राशि		10,654.72
		8,31,439.38
अग्रणीत सेव		8,31,439.38

खर्चों का विवरण	राशि	राशि
I वेतन और भत्ते		
अधिकारियों का वेतन		15,519.82
अधिकारियों का अवकाश वेतन		330.18
कर्मचारियों का वेतन		81,961.25
कर्मचारियों का अवकाश वेतन		8,186.94
मंडलाई भ्रतता एवं अतिरिक्त मंडलाई भ्रतता		1,11,881.15
अंकावी विविध विधि आयुक्त के प्राप्त अंकावी विविधविधि के खाता में जमा किया गया अतिरिक्त मंडलाई भ्रतता-3,722.70		
अंकावी विविध विधि आयुक्त से प्राप्त और उन कर्मचारियों विन्होंने बाकरी छोड़ दी को वरत अतिरिक्त मंडलाई भ्रतता		-2,651.40
मकान किराया भ्रतता		6,374.10
नहर प्रतिभर भ्रतता		28,010.66
चिकित्सा सुविधाएं		8,797.34
शिक्षा भुक्त प्रतिपूर्ति		1,267.22
पीओओ/एनओओ/रियायत		346.00
समयोपरि भ्रतता		669.80
भ्रतता भ्रतता		855.05
मानदेय		181.05
		150.00
		50.20
II भुक्त भ्रतता		2,64,580.76
वेतन वानग्री		13,511.96
टंक एवं अतिरिक्त यंत्रों की मरम्मत		3,166.69
परिवार एवं फिटिंग		2,689.17
दूरभाष		4,832.57
डाक एवं तार		5,873.81
भुक्त भ्रतता		6,166.50
समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं, पुस्तकें		2,269.64
वैद्यकीय सहाय प्रकीर्ण		9,968.02
कार्यालय खान का किराया		56,400.00
विद्युत भ्रतता		7,061.84
वाहन भ्रतता		1,759.15
उष्ण एवं शीतकालीन स्थापना		5,371.30
वर्ष 1982-83 के दौरान योजना के अधीन के मारभम से पिशापन-दयय		1,60,000.00
लेखा परीक्षा भुक्त		8,700.00
विधि सुम्बन्धी दयय		2,200.00
उपकरणों की मरम्मत		1,002.00
विन्धी प्रतियोगिता के पुरस्कार		500.00
उपकरणों का भ्रम		6,205.65
		2,97,678.30
		5,62,259.06

III सदस्यों/कर्मचारियों को विभिन्न बैठकों के लिए यात्रा दैनिक भत्ता

अध्यक्ष/सचिव/कर्मचारियों को	5,424.75	
परिषद् के सदस्यों को	40,361.49	
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को	14,914.35	
शिक्षा समिति, आयुर्वेद के सदस्यों को	6,220.05	
शिक्षा समिति, युवाश्री के सदस्यों को	8,451.50	
पंजीयन समिति के सदस्यों को	11,771.00	
द्ययन समिति के सदस्यों को	160.00	
उप-समितियों के सदस्यों को	4,630.50	
विनियम समिति के सदस्यों को	1,689.50	
परिदर्शन समिति के सदस्यों को	19,197.75	
साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को	91.00	
पुराने ठेकों के बदले जारी किया गया नया बैंक	48.35	
	1,10,960.24	
गत वर्ष 1981-82 के अग्रिमों के समायोजन के परिणाम-स्वरूप यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता	16,100.00	1,27,060.24

IV विभिन्न बैठकों के लिए सदस्यों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अग्रिम ।

परिषद् के सदस्यों को	2,000.00	
परिदर्शन समिति के सदस्यों को	800.00	2,800.00

V परिषद् का अंशदान

अंशदायी विविध विधि	10,458.75	
श्री एसएसओपाण्डे को दत्त अक्षि	258.00	
अतिरिक्त अक्षि अंशदान	9.20	
सेवा निवृत्ति अंशदान	5,642.89	
अवकाश वेतन अंशदान	4,545.56	20,914.40
अंशदायी विविध विधि में मकान किराया भत्ता का अंशदान	6,786.89	
अंशदायी विविध विधि में शहर प्रतिकर भत्ता का अंशदान	2,203.33	8,990.22
VI प्रेषण और आवक		571.00

VII कर्मचारियों को अग्रिम

वर्ष अग्रिम	3,600.00	
सर्वाधिकार/रुद्ध अग्रिम	3,275.00	6,875.00
31-3-82 को उक्त धेप		
के अक्षि धरिषदा के वात् धाते में धेप राशि	97,007.53	
सदस्य रोड	490.40	
सदस्य डाक टिकट	102.30	
विभिन्न महीने में डाक टिकट	4,369.23	1,01,969.46

भारतीय विद्वत्संघ केन्द्रीय परिषद्,
1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर,
नई दिल्ली-110055.

31 मार्च 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय व्यय लेखा

व्यय [विवरण]	राशि	राशि	आय [विवरण]	राशि	राशि
<u>वेतन और भत्ता</u>					
अधिकारियों का वेतन	15,519.82		वर्ष 1982-83 के दौरान गैर-योजना		
अधिकारियों का उपकाय वेतन	330.18		के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
कर्मचारियों का वेतन	81,961.25		मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहायता		
कर्मचारियों का उपकाय वेतन	8,186.94		अनुदान		5,75,000.00
मंहगाई एवं अतिरिक्त मंहगाई भत्ता	1,11,881.15		स्कटर/साईकिल अग्रिम पर व्याज		567.50
नकाल किराया भत्ता	28,010.66		विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों से		160.00
सहर प्रतिफल भत्ता	8,797.34		प्राप्त आवेदन शुल्क		
विद्वत्संघ सुविधाएं	1,267.22		पुराने समाचार-पत्रों की बिक्री से		147.15
शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	346.00		प्राप्त राशि		
पी०टी०ओ०/एल०टी०सी० खर्चा	669.80		कर्मचारियों से की गई वसुली		121.30
समयोपरि भत्ता	855.05		यात्रा भत्ता अग्रिम के शेष वसुली		81.00
पुनर्भूत भत्ता	181.05				
मासिक	150.00				
बैंक प्रभार	50.20	2,58,206.66			
<u>पुस्तक व्यय</u>					
लेखन सामग्री	13,511.96				
टंकण एवं अक्षतिप यंत्रों की मरम्मत	3,166.69				
फर्निचर एवं फिटिंग 2,689-17					
कम करे स्थायी सम्पत्ति की					
मद फायर फिटिंग उपकरण 1,883-20	805.97				
दूरभाष	4,832.57				
डाक एवं तार	5,873.81				
मुद्रण व्यय	6,166.50				
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं 2,269.64					
पुस्तकें					
कम करे स्थायी सम्पत्ति के लिए 611.85					
1,657.79					
कम करे पुस्तकों के लिए अग्रिम 75.00	1,582.79				
अदायगी					
पत्रिकाओं सहित प्रकीर्ण	9,968.02				
कार्यालय स्थान का किराया	56,400.00				
विद्युत प्रभार	7,061.84				
वाहन प्रभार	1,759.15				
उष्ण एवं शीत कालीन रखरखाव	5,371.30				
लेखा परीक्षा शुल्क	8,700.00				
पिपि सम्बन्धी व्यय	2,200.00				
उपकरणों की मरम्मत	1,002.00				
हिन्दी प्रतियोगिताओं के प्रस्कार	500.00	1,28,902.60			
अज्ञेय शेष		3,87,109.26	अज्ञेय शेष		5,75,976.99

पीछे से लाया गया शेष
विभिन्न शैठकों के लिए सदस्यों/कर्मचारियों को भत्ता/शिफ्ट भत्ता

3,87,109.26

अध्यक्ष/सचिव/कर्मचारियों को	3,424.75	
परिषद् के सदस्यों को	40,361.49	
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को	14,914.35	
शिक्षा समिति।आयुर्वेद। के सदस्यों को	6,220.05	
शिक्षा समिति।युवाश्री। के सदस्यों को	8,451.50	
पंजीयन समिति के सदस्यों को	11,771.00	
वयन समिति के सदस्यों को	160.00	
विनियम समिति के सदस्यों के	1,689.50	
उच्च-समिति के सदस्यों को	4,630.50	
परिदर्शन समिति के सदस्यों को	19,197.75	
साक्षात्कार हेतु उपस्थित अधिकारियों को	91.00	
	1,10,911.89	
गोर्डे-अभिमानों के समायोजन के परिणाम स्वरूप यात्रा/दैनिक भत्ता	16,100.00	1,27,011.89

IV परिषद् का अंशदान

अंशदायी निविद्य निधि	10,458.75	
श्री एच०एस० पाण्डे को अधिक राशि	258.00	
अधिक- अतिरिक्त अंशदान	9.20	
सेवा निवृत्ति अंशदान	5,642.89	
अवकाश वेतन अंशदान	4,545.56	20,914.40
टकस से आय की अधिकता		40,941.40

योग		5,75,976.95

पीछे से लाया गया शेष

5,75,976.96

हस्ताक्षर/-
निबन्धक
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

5,75,976.95

भारतीय विक्रिसा केन्द्रीय परिषद्,
1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ बगर,
बर्ड दिल्ली-110055.

31 मार्च, 1983 को यथा तुलन - पत्र

1981-82	दायित्व	राशि	राशि	1981-82	परिसम्पत्तित	राशि	राशि
4,24,408-49	गत तुलन-पत्र के अनुसार	3,42,540.03			फर्निचर एवं उपकरण		
--	जोड़ें-व्यय से आय की अधिकता	40,941.40		66,088.67	गत तुलन पत्र के अनुसार	66,088.67	
<u>81,988.46</u>	घटाएं-आय से व्यय की अधिकता	---	3,83,481.43	---	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>3,594.25</u>	69,682.92
<u>3,42,540.03</u>		---		<u>66,088.67</u>			
	क। निदेशक, विभाजन एवं दृश्य प्रसार को अदायगी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान			12,757.88	प्रतिकाशय की प्रतिले		
				35.25	गत तुलन-पत्र के अनुसार	12,793-13	
				<u>12,793.13</u>	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>611.85</u>	13,404.98
20,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,20,000.00		1,42,106.12	कार्यालय उपकरण		
<u>1,00,000.00</u>	इस वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>1,60,000.00</u>	2,80,000.00	---	गत-तुलन पत्र के अनुसार	1,42,106.12	
1,20,000.00				<u>1,42,106.12</u>	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>4,494.60</u>	1,46,600.72
	ख। कर्मचारियों के प्रति दायित्व				एयर क्लिनिंग उपकरण		
137.50	!!! ग्रुप बीमा योजना के लिए अनुदान	137.50		40,612.87	गत तुलन-पत्र के अनुसार	40,612.87	
99.80	!!!! अनुदायी प्रविष्य निधि में अनुदान	99.80		---	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	---	40,612.87
0.20	!!!! अनुदायी प्रविष्य निधि में कर्मचारियों का अनुदान	0.20		<u>40,612.87</u>			
31.20	I अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अतिरिक्त राशि	31.20			ग्रुप एवं अग्रिम		
2.60	I अतिरिक्त महंगाई भत्ता	2.60		1,840.00	I कर्मचारियों को अग्रिम		
-	I अतिरिक्त मकान किराया भत्ता	1,280.43	1,935.80	<u>2,400.00</u>	II पूर्व अग्रिम		
---	I अतिरिक्त शहर प्रतिकर भत्ता	<u>384.07</u>		4,240.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,340.00	
<u>271.30</u>				<u>2,900.00</u>	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>3,600.00</u>	
	प्रविष्य निधि आयुक्त से प्राप्त अतिरिक्त महंगाई भत्ता			2,900.00	घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसुली	<u>2,795.00</u>	2,145.00
6,374.10	गत तुलन-पत्र के अनुसार	6,374.10		<u>1,340.00</u>	III साईकल अग्रिम		
---	घटाएं इस वर्ष के दौरान की गई अदायगी	---		972.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,018.00	
6,374.10				<u>1,100.00</u>	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>275.00</u>	
	कर्मचारी प्रविष्य निधि			2,072.00	घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसुली	<u>1,293.00</u>	283.00
45,457.11	परिषद् का अनुदान	53,240.86		<u>1,054.00</u>	IV स्कूटर अग्रिम		
	कर्मचारियों का अनुदान अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहर प्रतिकर भत्ता इत्यादि सहित अनुदायी प्रविष्य निधि में जमा कराया जाता है।	87,450.10		1,018.00	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	300.00	
56,849.96	अनुदाता को देय व्यय	48,996.41		900.00	इस वर्ष के दौरान जमा	<u>3,000.00</u>	
37,818.25	परिषद् को प्रत्यर्पणीय राशि	<u>267.20</u>	1,89,954.57	---	घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसुली	<u>3,300.00</u>	3,000.00
<u>1,40,125.32</u>				<u>600.00</u>			
				<u>300.00</u>			
				57,710.00	खसुदरियों को अग्रिम		
				<u>8,700.00</u>	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	18,100.00	
				66,410.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>2,800.00</u>	
				<u>48,310.00</u>	घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसुली	<u>20,900.00</u>	4,800.00
				<u>18,100.00</u>			
6,09,310-75	अग्रणीत शेष		8,55,371.80	2,82,358.79			2,00,529.49

6.09.310-75 पीछे से लाया गया शेष

8.55.371-80

2.82.358-79

पीछे से लाया गया शेष

2.80.529-49

1991 विदेशक वृत्त एवं प्रचार योजना

20,000-00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	1,20,000-00	
<u>1,00,000-00</u>	वर्ष के दौरान जोड़ा	<u>1,60,000-00</u>	2,80,000-00
1,20,000-00			

1992 विदेशक वृत्त एवं प्रचार योजना

2,843-18	मत तुलन-पत्र के अनुसार	2,843.18	
---	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	---	2,843-18
2,843-18			

1993 विदेशक वृत्त एवं प्रचार योजना

---	मत तुलन-पत्र के अनुसार	---	75-00
0-10	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	---	0-10
<u>0-10</u>			

1,404-64	फ्रीफोन मशीन में डाक टिकटें	4,369-23	
123-10	हरतमत डाक टिकटें	102-30	
66,221-17	डॉक ऑफ इंडिया के धातु छाते में	97,007-53	
234-45	हरतमत रोरड	<u>490-40</u>	1,01,969-46
63,983-36			

कर्मचारी प्रविश्य विधि

1994 लागत

80,000-00	मत तुलन - पत्र के अनुसार	1,20,000-00	
<u>40,000-00</u>	वर्ष के दौरान जमा हुआ	<u>10,000-00</u>	1,30,000-00
1,20,000-00			

1995 कर्मचारियों को भ्रम

16,510-00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	5,910-00	
<u>9,608-00</u>	वर्ष के दौरान जमा हुआ	<u>28,500-00</u>	
26,118-00		34,410-00	
<u>20,208-00</u>	बटाय-वर्ष के दौरान भ्रम की वसूली	<u>14,090-00</u>	20,320-00
5,910-00			

14,215-32	मानक और बैंक में शेष		39,634-57
-----------	----------------------	--	-----------

6,09,310-75

योग

8,55,371-80

6,09,310-75

योग

8,55,371-80

हरतमत-
विदेशक
भारतीय विदेशी केन्द्रीय परिषद्

भारतीय चिफ्टसा केन्द्रीय परिषद,
1-ई/6, हवामी रामतीर्थ नगर,
बुई दिल्ली-110055.

31 मार्च, 1983 को अंदाजी वित्तिय विधि का तुलन-पत्र

1981-82	व्ययित्व	राशि	राशि	1981-82	परिवर्धित	राशि	राशि
<u>परिषद का अंदाज</u>							
44,470-71	मत तुलन-पत्र के अनुसार	45,457-11		13,002-04	बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते में	35,794-57	
9,205-20	वर्ष के दौरान जमा हुआ	10,458-75		2,213-28	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाते में	1,566-00	
53,675-91		55,915-86			हरितगत रोकड़	2,274-00	39,634-57
8,218-80	घटाए-वर्ष के दौरान अदायगियां	2,675-00	53,240-86	13,215-32			
45,457-11							
<u>कर्मचारियों का अंदाज</u>							
53,491-36	मत तुलन-पत्र के अनुसार	56,849-96		50,000-00	राष्ट्रीय जमा में		
12,391-55	वर्ष के दौरान जमा हुआ	33,783-93		25,000-00	(क) भारतीय स्टेट बैंक के		
65,882-91		90,633-89		25,000-00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	25,000-00	
9,032-95	घटाए-वर्ष के दौरान अदायगियां	3,183-79	87,450-10	50,000-00	घटाए-पत्र: प्राप्त किया	15,000-00	10,000-00
56,849-96				50,000-00	(ख) बैंक ऑफ इंडिया		
				55,000-00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	95,000-00	
				25,000-00	वर्ष के दौरान जमा हुआ	25,000-00	1,20,000-00
<u>परिषद और कर्मचारियों के अंदाज पर व्यय</u>							
28,842-07	मत तुलन-पत्र के अनुसार	37,818-29		16,510-00	कर्मचारियों के भुज		
12,577-84	वर्ष के दौरान जमा हुआ	13,060-82		7,603-00	मत तुलन-पत्र के अनुसार	5,910-00	
41,419-91		50,879-07		28,118-00	वर्ष के दौरान जमा हुआ	28,500-00	
3,601-56	घटाए-वर्ष के दौरान की गई अदायगी	1,892-66	48,996-41	20,208-00		34,410-00	
37,818-25				5,910-00	घटाए-वर्ष के दौरान वापसी	14,090-00	20,320-00
<u>परिषद को प्रत्युपजीव राशि</u>							
निम्न खाते में अधिक रकम में जमा किया गया परिषद का अंदाज							
	1. श्री ताजशाह महता	9-20					
	2. श्री एसएसओ पाण्डे	258-00	267-20				
1,40,125-32	योग		1,89,954-57	1,40,125-32	योग		1,89,954-57

हस्ताक्षर/-
निबन्ध
भारतीय चिफ्टसा केन्द्रीय परिषद.

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद,
1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर,
नई दिल्ली- 110055.

अंशदायी न्युन्य निधि लेखा


31 मार्च, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं शुभताओं का लेखा

प्राप्तियाँ	राशि	राशि	श्रीतम शुभताम	राशि	राशि
<u>1-4-82 को आरंभ</u>			<u>श्रीतम शुभताम</u>		
बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में	12,002.04		1. श्री पी०के० घोषा	2,758.64	
भारतीय स्टेट बैंक में	<u>2,213.29</u>	14,215-32	2. श्री के०एल० अरोड़ा	259.58	
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	10,458.75		3. श्री प्रेम सिंह	452.50	
परिषद द्वारा अंशदान	10,458.75		4. श्री आर०के० वर्मा	418.39	
कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त अंशदान	4,745-20		5. श्री के०एल० सदस्य	<u>2,502.34</u>	
कर्मचारियों द्वारा जमा किया गया अतिरिक्त मंहमाई	8,467.00			6,391.45	
श्रतता			ओडे - कर्मचारियों को हवीकृत श्रण	<u>28,500.00</u>	34,891.45
कर्मचारियों द्वारा जमा किया गया मकान किराया श्रतता	6,839.54				
कर्मचारियों द्वारा जमा किया गया शहर प्रतिकर श्रतता	2,161.34		बैंक ऑफ इण्डिया के सावधि जमा विनियोजित		10,000.00
श्री एस०एस०पाण्डे प्रतिनिधियुक्त पर। द्वारा			<u>अन्त शेष</u>		
अंशदान - 574-00			बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में	35,794-57	
मकान किराया श्रतता और	- 538-10	1,112.10	भारतीय स्टेट बैंक में	1,566-00	
शहर प्रतिकर श्रतता		44,242.68	हस्तगत रोकड़	<u>2,274-00</u>	39,634-57
<u>अधिक जमा किया गया</u>					
श्री एस०एस० पाण्डे	258-00	267-20			
श्री नाथ बाबू महतो	<u>9-20</u>	12,740-00			
श्रण पर कर्मचारियों से वसूल किया गया और					
उसके खाते में जमा किया गया व्याज		468-00			
वर्ष 1982-83 के दौरान बैंकों में माध्यम से		12,592-82			
अंशदायी न्युन्य निधि खाते पर अर्जित व्याज					
			योग		<u>84,526-02</u>

हस्ताक्षर/-

निदेशक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

Central Council of Indian Medicine



List of Members

President	Kaviraj A. Majumdar
Vice-President (Ayurveda)	Vaidya Shri Ram Sharma
Vice-President (Unani)	Dr. Hkm. Syed Khaleefathullah
Vice-President (Siddha)	Dr. A. Anand Kumar
Members	Vaidya Ram Lal Bhardwaj
	Kvj. S. Bhattacharjee
	Kvj. Brahma Swaroop Chawla
	Vaidya D. R. Chaturvedi
	Vaidya Shiv Karan Sharma Chhangani
	Vaidya Dharm Dutt
	Vaidya Brij Mohan Dikshit
	Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
	Acharya M. L. Dwivedi
	Dr. R. Dayalu
	Vaidya Govind Prasad
	Dr. P. C. Jain
	Vaidya Rameshwar Singh Kanwar
	Kvj. Khazan Chand
	Dr. S. P. Kinjawadekar
	Dr. P.N.V. Kurup
	Vaidya Madhav Prasad Acharya

Vaidya Gulraj Sharma Mishra
Vaidya Sita Ram Mishra
Kvj. M.C. Nanda
Dr. V. Narayanswami
Kvj. Om Prakash
Kvj. R.R. Pathak
Vaidya Y. Parthanasarayan Pandit
Dr. K. Rajagopalan
Shri A.T. Sarma
Dr. S.C. Sankhyadhar
Dr. C. Shah
Vaidya Dhani Ram Sharma
Pandit Keerti Sharma
Vaidya Hari Dutt Shastri
Shri Murli Manohar Sharan Shastri
Pt. Ram Gopal Shastri
Mahant Hari Kishan Singh
Kvj. Vishwanath Sobti
Dr. K. Satyanarayana Swamy
Acharya Badari Vishal Tripathi
Dr. P. K. Warriar
Hkm. Abdul Ahed
Hkm. Iftikhar Ahmad
Dr. Madan Sarup Gupta
Hkm. Abdul Hameed
Hkm. Mohd Jalaluddin Husami

Hkm. Mohd. Ibrahim Khan
Hkm. Mohd. Qayamuddin
Hkm. Abdul Rahim Abdul Karim Muntazar
Hkm. S. A. Shamsi
Hkm. Shamsuddin
Hkm. Mohd. Mukhtar Siddiqui
Dr. E. R. Balakrishnan
Dr J. R. Krishnamoorthi
Dr. R. Thyagrajan
Dr. C. S. Uthamoroyan

AYURVED COMMITTEE

	Kaviraj A. Majumdar (President, CCIM)
Chairman	Vaidya Shri Ram Sharma
Members	Vaidya Ram Lal Bhardwaj
	Kvj. S. Bhattacharjee
	Kvj. Brahma Swaroop Chawla
	Vaidya D. R. Chaturvedi
	Vaidya Shiv Karan Sharma Chhangani
	Vaidya Dharm Dutt
	Vaidya Brij Mohan Dikshit
	Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
	Acharya M. L. Dwivedi
	Dr. R. Dayalu
	Vaidya Govind Prasad
	Dr. P. C. Jain
	Vaidya Rameshwar Singh Kanwar
	Kvj. Khazan Chand
	Dr. S. P. Kinjawadekar
	Dr. P. N. V. Kurup
	Vaidya Madhay Prasad Acharya
	Vaidya Gulraj Sharma Mishra
	Vaidya Sita Ram Mishra
	Kvj. M.C. Nanda
	Dr. V. Narayanaswami
	Kvj. Om Prakash
	Kvj R.R. Pathak
	Vaidya Y. Parthaparayan Pandit

Dr. K. Rajagopalan
Shri A. T. Sarma
Dr. S. C. Sankhyadhar

Dr. C. Shah
Vaidya Dhani Ram Sharma
Pt. Keerti Sharma
Vaidya Hari Dutt Shastri
Shri Murli Manohar Sharan Shastri
Pt. Ram Gopal Shastri
Mahant Hari Kishan Singh
Kvj. Vishwanth Sobti
Dr. K. Satyanarayana Swamy
Acharya Badari Vishal Tripathi
Dr. P. K. Warriar

UNANI COMMITTEE

CHAIRMAN
Members

Dr. Hkm. S. Khaleefathullah
Dr. Madan Sarup Gupta
Hakim Abdul Ahad
Hakim Abdul Hameed
Hakim S. A. Shamsi
Hakim Mohd. Qayamuddin
Hakim Mohd. Mukhtar Siddiqui
Hakim Shamsuddin
Hakim Iftikhar Ahmed
Hakim Mohammad Ibrahim Khan

Hakim Mohd. Jalaluddin Husami
Hakim Abdul Rahim Abdul Karim Muntazar

SIDDHA COMMITTEE

CHAIRMAN Dr. A. Anand Kumar
Members Dr. E.R. Balakrishnan
Dr. R. Thyagarajan
Dr. C.S. Uthamoroyan
Dr. J. R. Krishnamoorthi

EXECUTIVE COMMITTEE

CHAIRMAN Kaviraj A. Majumdar (President)
Members Vaidya Shri Ram Sharma (Vice-President-Ayurved)
Dr. Hkm. S. Khaleefathullah (Vice-President-Unani)
Dr. A. Anand Kumar (Vice-President-Siddha)
Shri A. T. Sarma
Dr. V. Narayanaswami
Kvj. Khazan Chand
Dr. P. N. V. Kurup
Dr. Madan Sarup Gupta
Hakim Abdul Ahad
Dr. C. S. Uthamoroyan

REGULATION COMMITTEE

CHAIRMAN Shri Dharm Dutt Vaidya
Members Vaidya Shri Ram Sharma (Vice-President-Ayurved)
Dr. Hkm. S. Khaleefathullah (Vice-President-Unani)
Dr. A. Anand Kumar (Vice-President-Siddha)

Dr. C. Shah
Dr. Madan Sarup Gupta
Kaviraj Khazan Chand
Dr. R. Thyagarajan
Vaidya Rameshwar Singh Kanwar
Vaidya Gulraj Sharma Mishra
Shri Govind Prasad Vaidya
Shri Shiv Karan Sharma Chhangani
Hakim S. A. Shamsi

REGISTRATION COMMITTEE

CHAIRMAN Acharya M. L. Dwivedi
Members Vaidya Shri Ram Sharma (Vice-President-Ayurved)
Dr. Hkm. S. Khaleefathullah (Vice-President-Unani)
Dr. A. Anand Kumar (Vice-President-Siddha)
Dr. K. Satyanarayana Swami
Shri Murli Manohar Sharan Shastri
Hakim Abdul Ahad
Hakim Md. Ibrahim Khan
Hakim Iftikhar Ahmed
Dr. S. P. Kinjawadekar
Dr. S. C. Sankhyadhar
Kvj Vishwanath Sobti

EDUCATION COMMITTEE (AYURVED)

Members Vaidya Shri Ram Sharma (Vice-President-Ayurved)
Shri A. T. Sarma
Kvj. R. R. Pathak
Vaidya Hari Dutt Shastri

Achrya M. L. Dwivedi
Pt. Keerti Sharma
Dr. P. C. Jain
Vaidya D. R. Chaturvedi
Vaidya Y. Parthananarayana Pandit
Kvj. Brahma Swaroop Chawla
Kvj. Vishwanath Sobti
Dr. P. N. V. Kurup

CONVENER Dr. V. Narayanaswami

EDUCATION COMMITTEE (UNANI)

Members Dr. Hkm. S. Khaleefathullah (Vice-President-Unani)
Hakim Abdul Ahad
Hakim Abdul Hameed
Hakim S. A. Shamsi
Hakim Mohd. Qayamuddin
Hkm. Mohd. Mukhtar Siddiqui

CONVENER Dr. Madan Sarup Gupta

EDUCATION COMMITTEE (SIDDHA)

Members Dr. A. Anand Kumar (Vice-President-Siddha)
Dr. E. R. Balakrishnan
Dr. R. Thyagarajan
Dr. C. S. Uthamoroyan
Dr. J. R. Krishnamoorthi

Annual Report For The Year 1982-83

The Central Council of Indian Medicine was constituted in 1971 under the Indian Medicines Central Council Act, 1970. The main functions of the Council are :

- (i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine, viz Ayurveda, Unani and Siddha.
- (ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
- (iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- (iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe Standards of Professional Conduct and Etiquette and Code of Ethics to be observed by the Practitioners of Indian Medicine.

The Central Council laid down the following procedure in respect of the institutions/Universities which request the Central Council to accord its approval for conducting the Post-Graduate course:—

1. The Central Government and State Governments be requested to consult the Central Council before granting the permission to start the Post-graduate Course in any institution of Ayurved so that the Central Council may be aware about each of the

institution going to start/adopt Post-graduate course in Ayurved.

2. A circular be sent to all the Universities stating that they should obtain concurrence of the Central Council before allowing the institution affiliated to them to start Post-Graduate course in Ayurveda. The institutions should not be allowed/affiliated by the University for conducting the Post-graduate course in Ayurved without prior approval of the Council.
3. On receipt of request from the University for concurrence of the Council for conducting the Post-graduate Course in any institution, the Council may make arrangements for carrying out the inspection/visitation of Institution to assess the minimum standards laid down by the Council. The visitation report submitted by the visitors be considered by Education Committee (Ayurved) and thereafter, the decision of the Council may be communicated to the University.

The Central Council of Indian Medicine decided that the period of training during compulsory internship for specific Ayurvedic department, department of hospital, rural clinic and family welfare training etc. be made as under: —

- | | |
|---|-------------|
| 1. Kayachikitsa | —Two months |
| 2. Shalya-Shalakya | —One month |
| 3. Prasuti Tantra, Stri Roga
& Kaumarbhritya | —One month |
| 4. Community Health & Family
Welfare | —Two months |

The period of training of compulsory internship for Unani Tib was decided as under: —

- | | |
|----------|----------|
| Moalijat | 2 months |
|----------|----------|

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Hifzan-e-Sehat | 2 months (including Family Welfare) |
| Jarahat including E. N. T. | 1 month |
| Ilmul Qabalat | 1 month |

The period of training of Compulsory internship for Siddha System of Medicine was decided as under :

- | | |
|---|------------|
| 1. Maruthuvam | —2 months |
| 2. Aruvaimaruthuvam | —1 month |
| 3. Sool Maruthuvam, Mahalir
Maruthuvam & Pillaippini
Maruthuvam | — 1 month |
| 4. Samooka Nalavazhvu
& Kudumba Kalluppadu | — 2 months |

In this connection the following resolution was also passed :

“In compulsory Internship to the students of Ayurvedic and Unani Courses of the C.C.I.M., two months training in Community Health & Family Welfare has been included, but at present there is no facility for such training in the Hospitals attached to teaching Institutions of Ayurveda and Unani.

The Ayurveda Committee, therefore, resolved that the State Government should make provision of appointing 3rd Medical Officer from Ayurvedic/Unani Systems in two Primary Health Centres near each Ayurvedic/Unani College in the State respectively and get these PHCs attached to the respective colleges of ISM for regular training in Community Health and Family Welfare for the Internees in batches by rotation.”

The Central Council recommended the Pre-test for the students seeking direct admission to the main Course of Ayurved/Siddha/Unani.

These tests may be arranged by the concerned University/State Governments and the students may be admitted strictly in accordance with the merit criteria.

On receipt of request from the Central Government, the Central Council carried out special visitation of the following Ayurvedic Colleges affiliated with All India Ayurved Vidyapeeth, New Delhi to assess the arrangements made by them to start C.C.I.M. Under-graduate course :—

1. B.S.M. Ayurved Mahavidyalaya, Roorkee.
2. Kanya Gurukul Ayurved Mahavidyalaya, Kankhal
3. Shri Dhanvantari Ayurved Mahavidyalaya, Chandigarh.
4. Ashtang Ayurved Mahavidyalaya, Triveniganj (Naubasta) Lucknow.
5. Shri Gorakhanath Ayurved Mahavidyalaya, Gorakhpur.
6. Parshurampuriya Ayurved Mahavidyalaya, Khetasari, Jaunpur (U.P.)
7. Shri Sanskrit Vidya Mandir Ayurved Mahavidyalaya, Ujhani, Distt. Badaun (U. P.)
8. Swami Kalyandev Ayurved Mahavidyalaya, Muzaffarnager

The visitation reports of the above colleges submitted by the visitors were considered by the Council. The Central Council felt that none of the colleges fulfills the requirements and minimum standards for conducting Under-graduate course of Ayurved prescribed by Council. Hence, the Council did not consider these institutions fit to adopt the degree course prescribed by CCIM. All the visitation reports were sent to the Ministry of Health & Family Welfare alongwith comments of the Council.

Rajasthan University, Jaipur requested the Council to inspect Mohta Ayurved Mahavidyalaya, Sadulpur, Rajasthan for grant of recognition to start Under-graduate course of Ayurved prescribed by the Central Council. After considering the report, the Council decided to grant provisional recognition provided that the requirements are fulfilled within one year and a second visitation of the institution be carried out to ensure whether the shortcomings pointed out and assurance given by the authorities have been fulfilled or not.

The Central Council of Indian Medicine carried out routine visitation of 40 colleges of Indian Systems of Medicine during the year. The glaring deficiencies pointed out in the visitation reports were brought to the notice of the Universities to which these colleges were affiliated and the State Governments for necessary action.

On the request of Guru Nanak Dev University, Amritsar an Visitation of Shri Laxmi Narayan Ayurvedic College, Amritsar and Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar was carried out by the Council. The visitation reports submitted by visitors were accepted by the Council. It was decided that the provisional recognition to both the colleges may be granted for one year. The Council was also of the view that student bed ratio of 1:3 may strictly be followed by the institutions at the time of admission of the students to Pre-Ayurvedic Course. The institutions should make necessary arrangements for minimum 100 beds in their hospitals within a year.

The Central Council recommended to the Central Government not to recognise the qualifications awarded by the Bihar University, Muzaffarpur and Kameshwar Singh Sanskrit University, Darbhanga. The Council was of the strong opinion that no college affiliated with these Universities be recognised by Central Council of Indian Medicine for imparting training of Ayurvedic education.

The Council viewed that most of the Ayurvedic colleges have not so far been able to attain the minimum standards as laid down by the CCIM. These sub-standard institutions are mainly responsible for sub-standard education. It was therefore, suggested that the Central and State Governments should clamp strict ban on establishment of new Ayurvedic College till the present colleges are brought in conformity with the minimum standards laid down by CCIM. It was disturbing to note that inspite of repeated communications from the CCIM many of the States and also many Management bodies of private colleges have so far failed to bring up their colleges even to the minimum standards laid down by the CCIM. The Government of India and state Governments should take necessary steps for bringing up such colleges to the required minimum standards. If any of such institution fails to fulfill these requirements it should immediately be wound up.

It was observed that financial stringencies are the main bottleneck in standardising many of these institutions. The Central and State Governments be requested to provide liberal financial assistance to such institutions. The private management bodies should also make special efforts to tap their resources also.

The Council felt that negligible training facilities exist in most of the institutions engaged in teaching Ayurveda. Full facilities regarding the (a) provision of approved bed ratio in the hospitals (b) setting up of laboratories as laid down by the CCIM (c) setting up of herbarium (d) provision of a well equipped dissection hall etc. should be made. The authorities managing these institutions should take special care to complete the minimum requirements within two years. The Universities and authority

controlling the academic affairs of these institutions should ensure that these requirements are fulfilled. If the institutions fail to stick to this schedule, admission to these colleges should be stopped till the required standards are fulfilled.

The Council was of the view that due to different pattern of education in different States, the present admission qualification prescribed by the Central Council of Indian Medicine was not adopted by many Universities. It was therefore, felt that there should be an uniform admission qualification in all universities.

Keeping in view the present position and 10+2 pattern of education all over the country the Council was of the opinion that Uttar Madhyama of Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi with English or equivalent recognised Sanskrit examinations of other University or Statutory Body with English or 12th standard with Sanskrit should be the minimum admission qualification for main Ayurvedacharya course.

It was also recommended that the subjects of Pre-Ayurved Course be adjusted in main Ayurvedacharya Course.

The Council decided that a Pre-Ayurvedic Test may be arranged by State Government or University concerned for the students having any of the following qualification and seeking admission to Ayurvedacharya Course.

Intermediate/12th standard with Sanskrit or Science

OR

Uttar Madhyama with English or Science

OR

Equivalent other examination of recognised Board/University.

The Council decided to recognise Mool Chand Khairati Ram Hospital, New Delhi for Internship training for 10 Internees at present. It was also decided that the selection of the candidates be made by the hospital authorities on the recommendations of concerned University or Examining Body recognised by the Central Council of Indian Medicine.

The Central Council approved the pass percentage for Under-graduate course of Unani Tib as under :—

a. Pass marks 50% in theory and practicals/clinicals separately in every subject.

b. 75% and above marks in a subject will be marked as Distinction in the particular subject.

On the request of the Indian Nursing Council, the Central Council prepared the curriculum and syllabus of Nursing course in Unani Medicine and approved the same to be forwarded to Indian Nursing Council.

The Central Council decided to substitute the following subjects of preliminary examination of Post-graduate course in Unani Tib and approved the method of training under Post-graduate course of Unani Tib as under:—

- (1) Umoore-Tibia with their applied aspects.
- (2) Itlaqui Afal-ul Aza Hayatiyat Keemya.
- (3) Itlaqui Tashreeh-o-Jeneeniyat
- (4) Itlaqui Ilmul Adwiya with Tibbi Keemia
- (5) Itlaqui Mahiatul Amraz wa Itlaqui Jarasoomiyat.
- (6) Method of Research and Bio-Statistics.

Method of Training

The emphasis should be on training and not in didactic lectures. The candidates should take part in Seminars, Group Discussions,

Clinical meeting etc. The candidates should be required to write a thesis or dissertation with detailed commentary which should provide the candidate with necessary background of training in research methods and techniques alongwith the art of writing of research papers and learning the use of library. The in-service training requires the candidate to be resident in the campus and he should be given graded responsibility in the management and treatment of patients entrusted to his care. Adequate number of posts of clinical residents or tutors should be created for this purpose.

The Central Council recommended three years relaxation in teaching experience for Post-graduate degree holders in Unani Medicine.

The Council approved Hippocratic Oath for Unani Physician as under:—

I. ...Swear by God-The Great

'To ascribe the gift of healing as imparted to me, to God who is the Divine Healer;

'To protect human life in all stages and under all circumstances, doing my utmost to rescue it from pain and anxiety, malady and death;

'To uphold people's dignity, respect their confidences and guard their secrets;

'To be all the way an instrument of God's mercy, extending my medical care to near and far, virtuous and sinner, friend and enemy;

'To strive in the pursuit of knowledge and harness it for the benefit but not the harm of mankind.

'To revere my teacher, teach my junior, and be brother to members of the medical profession joined in pity and charity;

'To live my Faith in private and public, avoiding whatever blemishes me in the eyes of God, and my fellowmen;

"And may God be witness to this Oath."

The Central Council issued advertisements at all India level in Hindi, English and all regional languages in order to check mushroom growth of colleges of Indian Systems of Medicine and unauthorised practice by unqualified/unregistered practitioners. The public was cautioned to beware of fake medical institutions in the country which award the bogus certificate of registration and unrecognised degree.

The Central Council of Indian Medicine on receipt of directives from the Central Government considered the various qualifications of Indian Systems of Medicine for amendment/inclusion/deletion in the Schedules to the IMCC Act, 1970.

The Central Council screened all the qualifications and after recommendations of the Registration Committee finalised the list of qualifications and forwarded to the Central Government alongwith comments of the Council for necessary action.

The Council discussed the specimen proforma of Central Register of Indian Medicine to be maintained by the Council and approved the specimen proforma as under:—

Name & Father's Name	Qualification, University/Awarding Body/Year	Regn. No. & Dt. of Registration.	State & Schedule.
----------------------	--	----------------------------------	-------------------

The Central Council passed the following resolution:—

“Any registered practitioner of Indian system of Medicine is eligible to use any sort of drugs for benefit of the patient.”

The following regulations were published in the Gazette of India:—

- (i) The Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976.
- (ii) Practitioners of Indian Medicine (Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982.

During the year the following meetings of the Central Council and its various committees were held :

1. Central Council of Indian Medicine —One
2. Ayurveda Committee —One
3. Unani Committee —One
4. Siddha Committee —One
5. Executive Committee —Three
6. Education Committee (Ayurveda) —Two
7. Education Committee (Unani) —One
8. Education Committee (Siddha) —Nil
9. Registration Committee —One
10. Sub-Committees —Ten

The Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi sanctioned a grant of Rs. 5,75,000/- (Non-Plan) for the year 1982-83 to meet the expenditure of the Central Council of Indian Medicine.

Besides, a grant of Rs. 1,60,000/- (Plan) was also sanctioned to check mushroom growth of Colleges of Indian Medicine and unauthorised practice by unqualified/unregistered practitioners.

The audit of the Accounts of the council for the year 1982-83 was carried out by the Director of Audit, Central Revenues, New Delhi. The copy of the Audit Report for the year 1982-83 is enclosed.



OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT,
CENTRAL REVENUES, NEW DELHI

No. OAI/13-CCIM/AR/82-83/330

Dated 8-11-1983

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Health and Family Welfare,
Department of Health, Nirman Bhawan,
NEW DELHI

Subject : Audit Report on Central Council of Indian Medicine for
1982-83.

Sir,

I am to forward herewith a copy of the certified annual accounts in respect of Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1982-83 for being laid on the table of Parliament. The Audit Report thereon may please be treated as 'NIL'.

Two copies of the documents as presented to Parliament indicating the date on which they were presented may please be furnished to this office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

Kindly acknowledge the receipt.

Yours faithfully,

Sd/-

(VIKRAM CHANDRA)

Jt. Director of Audit (I)

Audit Certificate

I have examined the Accounts and the Balance Sheet of the Central Council of Indian Medicine for the year ending 31st March, 1983. I have obtained all the information and explanations that I have required and I certify as a result of my audit, that in my opinion these accounts and the Balance Sheet are properly drawn up as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Council according to the best of my information and explanation given to me and as shown by the books of the Organisation.
NEW DELHI

Sd/-

(O.P. GOEL)

DIRECTOR OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

8th November, 1983

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
1-E/6, Swami Ramtirth Nagar,
(Jhandewalan Extension)
NEW DELHI-110 055

Receipt and Payment Accounts for the year ended 31st March, 1983

<u>Receipts (Particulars)</u>	<u>Amount</u>	<u>Amount</u>	<u>Payment (Particular)</u>	<u>Amount</u>	<u>Amount</u>
<u>Opening Balances as on 1.4.1982</u>			<u>I-Pay & Allowance</u>		
Bank Balance in current A/c with Bank of India	62,221.17		Pay of Officer	15,519.82	
Cash in hand	234.45		Leave Salary of Officer	330.18	
Stamps in hand	123.10		Pay of Establishment	81,961.25	
Stamps in Franking Machines	<u>1,404.64</u>	63,983.36	Leave Salary of Establishment	8,186.94	
Grant-in-aid received from the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi under Non-Plan during the year 1982-83		5,75,000.00	Dearness and Additional Dearness Allowance	1,11,881.15	
Grant-in-aid received from the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi, under Plan during the year 1982-83		1,60,000.00	ADA received from CPF		
<u>Recovery made from Employees</u>			Commissioner paid in CPF A/c	3,722.70	
Cycle & Scooter Advance	1,310.00		ADA received from CPF		
Interest on above Advance	567.50		Commissioner paid to employee who left the service	<u>2,651.40</u>	6,374.10
Festival Advance	2,795.00		House Rent Allowance	28,010.66	
Over Payment recovered from Staff	<u>21.30</u>	4,693.80	City Compensatory Allowance	8,797.34	
Amount received for Income Tax		57.00	Medical Facilities	1,267.22	
Application Fees received from the candidates from various posts		160.00	Tuition Reimbursement Fee	346.00	
Amount received due to sale of old News papers		147.15	PTO/LTC Concession	669.80	
Adjustment of TA/DA advance granted during the year 1981-82		16,100.00	Overtime Allowance	855.05	
Uncashed cheque-old cheque received back (Contra Entries)		48.35	Washing Allowance	181.05	
Recovery of balance TA advance last year		81.00	Honorarium Account	150.00	
Amount received from employees on account of HRA to be deposited in CPF Account	8,067.32		Bank Charges	<u>50.20</u>	2,64,580.76
Amount received from employees on account of CCA to be deposited in CPF Account	<u>2,587.40</u>	10,654.72	<u>II-Contingences</u>		
			Stationery	13,511.96	
			Repair of Typewriter/Duplicating Machines	3,166.69	
			Furniture & Fitting	2,689.17	
			Telephone	4,832.57	
			Postage & Telegram	5,873.81	
			Printing Charges	6,166.50	
			Newspapers & Periodical Books	2,269.64	
			Sundries including livories	9,968.02	
			Rent of Office Accommodation	56,400.00	
			Electric Charges	7,061.84	
			Conveyance Charges	1,759.15	
			Hot & Cold weather Establishment	5,371.30	
			Advertisement Expenses under plan during the year 1982-83 through DAVP	1,60,000.00	
			Audit Fee	8,700.00	
			Legal Expenses	2,200.00	
			Repair of equipments	11,002.00	
			Hindi Prizes	500.00	
			Purchase of equipments	<u>6,205.65</u>	2,97,678.30
Balance C/F		<u>8,31,439.38</u>	Balance C/F		<u>5,62,259.06</u>

Balance B/F 8,31,439.38

Balance B/F

5,62,259.06

III-TA/DA to members/staff for various meeting

President/Secretary/Establishment	3,424.75	
Members of Council	40,361.49	
Members of Executive Committee	14,914.35	
Members of Education Committee (Ay)	6,220.05	
Members of Education Committee (Unani)	8,451.50	
Members of Registration Committee	11,771.00	
Members of Selection Committee	160.00	
Members of Sub-Committee	4,630.50	
Members of Regulation Committee	1,689.50	
Members of Visiting Committee	19,197.75	
Candidate appearing for Interview	91.00	
Issued fresh cheque in lieu of old cheque	48.35	
	<u>1,10,960.24</u>	

TA/DA as a result of Adjustment of advances of last year 1981-82

16,100.00 1,27,060.24

IV Advance TA/DA to members/Staff for various meetings

Members of Council	2,000.00	
Members of Visiting Committee	800.00	2,800.00

V-Council's Contribution

Contributory Provident Fund	10,458.75	
Excess of Shri S.S. Pande	258.00	
Excess of Additional Subscription	9.20	
Pension Contribution	5,642.89	
Leave Salary Contribution	4,545.56	20,914.40

Amount paid in CPF Account on account of HRA	6,786.89	
Amount paid in CPF Account on account of CCA	2,203.33	8,990.22

VI-Remittance & Income Tax

571.00

VII-Advance to staff

Festival Advance		
Cycle/Scooter Advance	3,600.00	
	<u>3,275.00</u>	6,875.00

Closing Balance as on 31.3.1983

Bank Balance with current account with		
Bank of India	97,007.53	
Cash in hand	490.40	
Stamp in hand	102.30	
Stamps in Franking Machines	4,369.23	1,01,969.46

TOTAL 8,31,439.38

TOTAL

8,31,439.38

Sd/-
Registrar
Central Council of Indian Medicine

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
1-E/6, Swami Ramtirth Nagar
(Jhandewalan Extension)
NEW DELHI-110 055

Income & Expenditure Accounts for the year ended 31st March, 1983

<u>Expenditure (Particular)</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>Income (Particular)</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>
<u>Pay & Allowance</u>					
Pay of Officer	15,519.82		Grant-in-aid received from the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi under Non-Plan during the year 1982-83.	5,75,000.00	
Leave Salary of Officer	330.18				
Pay of Establishment	81,961.25		Interest on cycle/scooter Advance	567.50	
Leave salary of Establishment	8,186.94		Application Fee received from the candidate for various posts	160.00	
DA & ADA	1,11,881.15		Recovery made from staff	121.30	
House Rent Allowance	28,010.66		Recovery of balance TA advance	81.00	
City Compensatory Allowance	8,797.34		Amount received due to sale of old newspapers	147.15	
Medical Facilities	1,267.22				
Tuition Reimbursement Fee	346.00				
PTO/LTC Concession	669.80				
Overtime Allowance	855.05				
Washing Allowance	181.05				
Honorarium Account	150.00				
Bank Charges	50.20	2,58,206.66			
<u>Contingencies:-</u>					
Stationary	13,511.96				
Repair of Typewriter/Duplicating Machines	3,166.69				
Furniture & Fitting	2,689.17				
Less-Fixed Asset Item-					
Fire fighting equipment	1,883.20	805.97			
Telephone	4,832.57				
Postage & Telegram	5,873.81				
Printing Charges	6,166.50				
Newspapers & Periodical Books	2,269.64				
Less Books for Fixed Assets	611.95				
	1,657.79				
Less-Advance Payment for Books	75.00	1,582.79			
Laundries including liveries	9,968.02				
Rent of office Accommodation	56,400.00				
Electric Charges	7,061.84				
Conveyance Expenses	1,759.15				
Hot & Cold Weather Estt.	5,371.30				
Audit Fee	8,700.00				
Legal Expenses	2,200.00				
Repair of equipments	1,002.00	1,28,902.60			
Grants-in-aid Prizes	500.00				
Balance C/F		3,87,109.26	Balance C/F	5,75,976.95	

.....2/-

Balance B/F

3,87,109.26

III TA/DA to Members/Staff for various meeting

President/Secretary/Establishment	3,424.75
Members of Council	40,361.49
Members of Executive Committee	14,914.35
Members of Education Committee (Ay.)	6,220.05
Members of Education Committee (Unani)	8,451.50
Members of Registration Committee	11,771.00
Members of Selection Committee	160.00
Members of Regulation Committee	1,689.50
Members of Sub-Committee	4,630.50
Members of Visiting Committee	19,197.75
Candidate Appearing for Interview	91.00
	<u>1,10,911.89</u>

Add-TA/DA as a result of adjustment of advances

16,100.00

1,27,011.89

IV Council Contribution

Contributory Provident Fund	10,458.75
Excess Shri S.S. Pande	258.00
Excess - Add. Subscription	9.20
Pension Contribution	5,642.89
Leave salary contribution	<u>4,545.56</u>
	20,914.40
Excess of Income over Expenditure	40,941.40

TOTAL

5,75,976.95

Balance B/F

5,75,976.95

TOTAL

5,75,976.95

Sd/-
Registrar
Central Council of Indian Medicine

chadha
31283

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
1-B/5, Swami Ramtirth Nagar,
(Jhandewalan Extension)
NEW DELHI - 110 055

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1983

<u>1981-82</u>	<u>LIABILITIES</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>1981-82</u>	<u>ASSETS</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>
	<u>GENERAL RESERVE</u>				<u>FURNITURE & FIXTURE</u>		
4,24,408.49	As per Last Balance Sheet	3,42,540.03		66,088.67	As per last Balance Sheet	66,088.67	
-	Add-Excess of Income over Expenditure	40,941.40		-	Addition during the year	3,594.25	69,682.92
81,868.46	Less-Excess of Expenditure over Income	-	3,83,481.43	<u>66,088.67</u>			
<u>3,42,540.03</u>					<u>Library Books</u>		
	<u>Sundry Creditors</u>				As per last balance sheet	12,793.13	
	(A) Government of India Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi, Grant-in-aid received for advertisement & given to D.A.V.P.			12,757.88	Addition during the year	611.85	13,404.98
				35.25			
				<u>12,793.13</u>	<u>Office Equipments</u>		
20,000.00	As per Last Balance Sheet	1,20,000.00		1,42,106.12	As per last balance sheet	1,42,106.12	
<u>1,00,000.00</u>	Addition during the year	<u>1,60,000.00</u>	2,80,000.00	-	Addition during the year	4,494.60	1,46,600.72
1,20,000.00				<u>1,42,106.12</u>			
	(B) <u>Liabilities towards members of Staff</u>				<u>Air Cooling Appliances</u>		
	(a) Contribution for Group Insurance Scheme	137.50		40,612.87	As per last balance sheet	40,612.87	
99.80	(b) Subscription towards C.P. Fund	99.80		-	Addition during the year	-	40,612.87
0.20	(c) Employee's Subscription towards C.P. Fund	0.20		<u>40,612.87</u>			
31.20	(d) Undisbursed amount of A.D.A.	31.20			<u>Loans & Advance</u>		
2.60	(e) Undisbursed amount of D.A.	2.60			(a) <u>Advance to Staff</u>		
-	(f) Undisbursed amount of H.R.A.	1,280.43		1,840.00	(i) <u>Festival Advance</u>		
-	(g) Undisbursed amount of C.C.A.	<u>384.07</u>	1,935.80	2,400.00	As per last balance sheet	1,340.00	
<u>271.30</u>				4,240.00	Addition during the year	3,600.00	
	A.D.A. received from C.P. Fund Commissioner			4,240.00		4,940.00	
6,374.10	As per last balance sheet	6,374.10		2,900.00	Less Recoveries during the year	2,795.00	2,145.00
-	Less paid during the year	<u>6,374.10</u>		1,340.00			
<u>6,374.10</u>				<u>1,018.00</u>	(ii) <u>Cycle Advance</u>		
	<u>STAFF PROVIDENT FUND</u>				As per last balance sheet	1,018.00	
45,457.11	Council's Contribution	53,240.86		972.00	Addition during the year	275.00	
56,849.96	Employee's Subscription (including A.D.A. H.R.A., C.C.A, etc. is credited to C.F. Fund	87,450.10		1,100.00		1,293.00	
	Interest payable to subscribers	48,996.41		2,072.00	Less recoveries during the year	1,010.00	283.00
37,818.25	Amount refundable to Council	267.20	1,89,954.57	1,054.00			
<u>1,40,125.32</u>				<u>1,018.00</u>	(iii) <u>Scoter Advance</u>		
					As per last Balance Sheet	300.00	
				900.00	Addition during the year	3,000.00	
				-		3,300.00	
				900.00	Less recoveries during the year	300.00	3,000.00
				600.00			
				<u>300.00</u>	(b) <u>Advance to Members</u>		
					As per last balance sheet	18,100.00	
				57,710.00	Addition during the year	2,800.00	
				8,700.00		20,900.00	
				66,410.00	Less Recoveries during the year	16,100.00	4,800.00
				48,310.00			
				<u>18,100.00</u>			
<u>6,09,310.75</u>	BALANCE C/F	<u>8,55,371.80</u>		<u>2,82,358.79</u>	BALANCE C/F	<u>2,80,529.49</u>	

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
1-E/6, Swami Ramtirth Nagar
NEW DELHI - 110 055

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND - BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1983

<u>1981-82</u>	<u>LIABILITIES</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>1981-82</u>	<u>ASSETS</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>
	<u>COUNCIL'S CONTRIBUTION</u>						
44,470.71	As per last Balance Sheet	45,457.11		12,002.04	In Saving Bank with Bank of India	35,794.57	
<u>9,205.20</u>	Addition during the year	<u>10,458.75</u>		2,213.28	In Saving Bank with State Bank of India	1,566.00	
53,675.91		55,915.86			Cash in hand	<u>2,274.00</u>	39,634.57
<u>8,218.80</u>	Less-Payments during the year	<u>2,675.00</u>	53,240.86	<u>14,215.32</u>			
<u>45,457.11</u>							
	<u>Employee's Subscription</u>				<u>Fixed Deposits</u>		
53,491.36	As per Last Balance Sheet	56,849.96			(A) <u>With State Bank of India</u>		
<u>12,391.55</u>	Addition during the year	<u>33,783.91</u>		50,000.00	As per Last Balance Sheet	25,000.00	
65,882.91		90,633.87		<u>25,000.00</u>	Less - Redeemed	<u>15,000.00</u>	10,000.00
<u>9,032.95</u>	Less-Payments during the year	<u>3,183.79</u>	87,450.10	25,000.00			
<u>56,849.96</u>					(B) <u>With Bank of India</u>		
	<u>Interest on Council's Contribution and Employee's Subscription</u>				As per last Balance Sheet	95,000.00	
28,842.07	As per Last Balance Sheet	37,818.25		30,000.00	Addition during the year	<u>25,000.00</u>	1,20,000.00
<u>12,577.84</u>	Addition during the year	<u>13,060.82</u>		95,000.00			
41,419.91		50,879.07			<u>Loans to Employees:-</u>		
<u>3,601.66</u>	Less-Payments during the year	<u>1,882.66</u>	48,996.41	16,510.00	As per Last Balance Sheet	5,910.00	
<u>37,818.25</u>				<u>9,608.00</u>	Addition during the year	<u>28,500.00</u>	
	<u>Amount Refundable to Council</u>			26,118.00	Less-Refunds during the year	34,410.00	
	Council's Contribution credited in Exams in the account off:			<u>20,208.00</u>		<u>14,090.00</u>	20,320.00
	1. Shri Lal Babu Mahato	9.20		5,910.00			
	2. Shri S.S. Pandey	258.00	267.20				
<u>1,40,125.32</u>	TOTAL		<u>1,89,954.57</u>	<u>1,40,125.32</u>	TOTAL		<u>1,89,954.57</u>

Sd/-
Registrar
Central Council of Indian Medicine

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
1-E/6, Swami Ramtirth Nagar,
(Jhandewalan Extension),
NEW DELHI - 110 055

Contributory provident Fund Account

Receipts and Payments Accounts for the year ended 31st March, 1983

<u>RECEIPTS</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>PAYMENTS</u>	<u>AMOUNT</u>	<u>AMOUNT</u>
<u>OPENING BALANCE AS ON 1.4.1982</u>			<u>Final Payments</u>		
In Saving Bank Account with Bank of India	12,002.04		1. Shri P.K. Khobh	2,758.64	
State Bank of India	<u>2,213.28</u>	14,215.32	2. Shri K.L. Arora	259.58	
Subscription by Employees	10,458.75		3. Shri Prem Singh	452.50	
Contribution by Council	10,458.75		4. Shri R.K. Sharma	418.39	
Additional Subscription by Employees	4,745.20		5. Shri K.L. Sehgal	<u>2,502.34</u>	
Additional D.A deposits by Employees	8,467.00			6,391.45	
Additional H.R.A. Deposits by Employees	6,839.54		Add-Loans granted to staff	<u>28,500.00</u>	34,891.45
Additional City Comp. Allowance by employees	2,161.34		Invested in Fixed Deposit with Bank of India		10,000.00
<u>Deposit by Shri S.S. Pande (on deputation)</u>			<u>Closing Balance</u>		
Subscription	574.00		In Saving Bank A/c with Bank of India	35,794.57	
H.R.A. & C.A.	<u>538.10</u>	44,242.68	State Bank of India	1,566.00	
<u>Excess Deposits</u>			Cash in hand	<u>2,274.00</u>	39,634.57
Shri S.S. Pande	258.00				
Shri L.B. Mahato	<u>9.20</u>	267.20			
Recovery of loan from employees		12,740.00			
Interest recovered from staff on loan and credited to their accounts		468.00			
Interest earned on C.P. Fund A/c through banks during the year 1982-83		12,592.82			
TOTAL		<u>84,526.02</u>	TOTAL		<u>84,526.02</u>

sd/-
Registrar
Central Council of Indian Medicine